हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांकः प.2(49)एचजेयू/प्रशा/मीटिंग/प्रबो-V/2022/17956 दिनांक : 02.12.2022

प्रबंध बोर्ड की पंचम बैठक दिनांक 30.11.2022 का कार्यवृत्त

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 23 के अन्तर्गत गठित विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की पंचम बैठक दिनांक 30.11.2022 को 11.30 बजे "मन्थन" सभागार, प्रशासनिक भवन, द्वितीय तल, डॉ. सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में प्रबंध बोर्ड के उपस्थित पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1	प्रो. सुधि राजीव	कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
2	श्रीमती अलका सक्सेना	अतिरिक्त निदेशक, डीआईपीआर (प्रमुख शासन सचिव, सूचना और जनसम्पर्क विभाग द्वारा नामनिर्देशित), एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
3	श्री रामस्वरूप मीणा	कोषाधिकारी, कोषागार (पेंशन), जयपुर प्रतिनिधि संभागीय आयुक्त, नामनिर्देशिती वित्त विभाग एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
4	डॉ. फिरोज अख्तर	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग (शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्देशित), एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
5	प्रो. अनिल कुमार राय	कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर

Sudhi Rajiv
2/12/22

राजीव गांधी विद्याभवन
सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग
जयपुर 302 015 (राजस्थान)
Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
JLN Marg, Jaipur 302 015 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

HJU: A UNIVERSITY ESTABLISHED BY AN ACT OF THE RAJ. STATE LEGISLATURE, IS A NATIONAL CENTRE FOR TEACHING, TRAINING AND RESEARCH IN JOURNALISM, MASS COMMUNICATION AND ALLIED FIELDS
पत्रकारिता, जनसंचार और संबंधित विषयों के शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के लिए राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्थान

6	श्री रजत शर्मा	कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर **ऑनलाइन सहभागिता**
7	प्रो. अपूर्वानन्द	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
8	श्री अमर सिंह राठौड़	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
9	श्री प्रशान्त बैरवा	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित राज्य विधानमंण्डल के सदस्य एवं सदस्य प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
10	डॉ. अनिल कुमार मिश्र	कुलपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित संकाय अध्यक्ष, एचजेयू, जयपुर
11	श्री अबु सुफियान चौहान	कुलसचिव, एचजेयू एवं सदस्य सचिव, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
12	श्री मोहन सिंह	वित्त नियंत्रक, एचजेयू एवं विशेष आमंत्रित सदस्य
13	डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव	परीक्षा नियंत्रक, एचजेयू एवं विशेष आमंत्रित सदस्य

बैठक का आरंभ नवीन कुलपति प्रो. सुधि राजीव के द्वारा सभी सदस्यों के अभिवादन, स्वागत एवं परिचय से किया गया। तत्पश्चात् कुलपति महोदया द्वारा प्रबंध बोर्ड में कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय द्वारा नवीन मनोनीत सदस्य प्रो. अनिल कुमार राय एवं श्री रजत शर्मा का स्वागत किया गया। तदुरुपरान्त बोर्ड के सदस्यों ने नवीन कुलपति प्रो. सुधि राजीव का स्वागत एवं अभिनन्दन किया। बोर्ड के सदस्यों ने विशेष आमंत्रित सदस्यों की उपस्थिति का संज्ञान लिया।

Sudhi Rajiv
2/12/22

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

तत्पश्चात विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24 में उल्लिखित प्रबंध बोर्ड के कृत्यों/शक्तियों के अनुसार बैठक में कार्यसूची (एजेंडा) पर बिन्दुवार विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में पारित निर्णयों/संकल्पों का कार्य सूचीवार विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य सूची संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण
5-1	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रबन्ध बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 28.04.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन।
	निर्णय/संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
5-2	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर की वित्त समिति की पंचम बैठक दिनांक 09.11.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।
	निर्णय/संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
5-3	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर की विद्यापरिषद् की चतुर्थ बैठक दिनांक 23.11.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note)** विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 23.11.2022 को आयोज्य है। बैठक उपरान्त कार्यवृत को प्रबंध बोर्ड की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

Sudhi Rajiv
2/12/22

राजीव गांधी विद्याभवन | Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग | Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
जयपुर 302 015 (राजस्थान) | JLN Marg, Jaipur 302 015 (Rajasthan) India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

	निर्णय/संकल्प विद्यापरिषद् की चतुर्थ बैठक के कार्यसूची संख्या 4-15 एवं 4-20 के अतिरिक्त अन्य सभी बिन्दुओं पर कार्यवृत्त का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। एजेंडा बिन्दू संख्या 4-15 के संबंध में MOBILOITTE FOUNDATION से MoU किए जाने से पूर्व चार सदस्यों की निम्नानुसार समिति बनाए जाने का निर्णय किया गया : 1. श्री अमर सिंह राठौड़, सदस्य प्रबंध बोर्ड - अध्यक्ष 2. प्रो. अपूर्वानन्द, सदस्य, प्रबंध बोर्ड - सदस्य 3. श्री ओम सैनी, सदस्य, विद्यापरिषद् - सदस्य 4. डॉ. अनिल कुमार मिश्र, संकायाध्यक्ष, एचजेयू एवं सदस्य प्रबंध बोर्ड - सदस्य सचिव उक्त समिति ऑनलाइन मोड पर काम करते हुए MOBILOITTE FOUNDATION के प्रस्ताव का परीक्षण कर MoU की गाईडलाइन तैयार करेगी। समिति अपना प्रतिवेदन कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय के लिए कुलपति को अधिकृत किया है। एजेंडा बिन्दू संख्या 4-20 के लिए सभी सदस्यों ने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाने लिए सैद्धान्तिक सहमति जताई, साथ ही सुझाव दिया की इस निमित्त आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक आगे बढा जाए।
5-4	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर में राज्य सरकार द्वारा दो चरणों में स्वीकृत विभिन्न शैक्षणिक पदों हेतु दिनांक 03.12.2021 को विज्ञापित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाने के कारण विज्ञापन पुनः जारी कर अथवा संशोधन (Corrigendum) जारी कर विभिन्न पदों पर नियमित भर्ती किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन।

Sudhi Rajiv
2/12/22

व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :

विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 03.12.2021 को विभिन्न शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। परन्तु राज्यपाल सचिवालय के पत्र क्रमांक 3334 दिनांक 01.02.2022 के द्वारा भर्ती प्रक्रिया को विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति की नियुक्ति किए जाने तक रोक लगाए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। साथ ही इसी दौरान विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन के संबंध में विशेष योग्यजन द्वारा आपत्ति प्राप्त होने एवं तत्पश्चात् आयुक्त, विशेष योग्यजन न्यायालय द्वारा विशेष योग्यजन हेतु प्रत्येक संवर्ग में एक सीट आरक्षित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा विधिक राय प्राप्त की गई, तथा उक्तानुसार कार्रवाई की जा रही है।

उक्त विज्ञापन के क्रम में आवेदन प्राप्त कर लिए गए थे। परन्तु प्रक्रिया स्थगित हो जाने के कारण नियमित भर्ती का कार्य सम्पन्न नहीं हो सका। उक्त विज्ञापन जारी किए जाने को 01 वर्ष पूर्ण होने वाला है।

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक स्टाफ की कमी तथा गतिविधियों के विस्तार के कारण शिक्षकों की भर्ती किया जाना अत्यावश्यक है। अतः विज्ञापन पुनः जारी कर अथवा संशोधन (Corrigendum) जारी कर विभिन्न पदों पर नियमित भर्ती किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है।

निर्णय/संकल्प

एजेंडा पर चर्चा हुई। शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु पदों को पुनः विज्ञापित करने का निर्णय किया गया तथा पूर्व में जारी विज्ञापन (दिनांक 03.12.2021) को जारी करने की तिथि से, एक वर्ष का extension दिए जाने पर सहमति व्यक्त की गई। सभी सदस्यों का सर्वसम्मत मत था कि विज्ञापन में अंकित किया जाए कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में जारी विज्ञापन के क्रम में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु यदि वे अपनी योग्यताओं में इज़ाफा करने वाली कोई सूचना जुडवाना चाहते हैं तो इसे विश्वविद्यालय को प्रेषित कर सकेंगे।

Sudhi Rajiv
2/12/22

राजीव गांधी विद्याभवन
सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग
जयपुर 302 015 (राजस्थान)
Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
JLN Marg, Jaipur 302 015 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

	पूर्व विज्ञापन में जारी अर्हता/योग्यता एवं सेवा शर्तों आदि को यथावत रखते हुए तथा पदवार आरक्षण में विशेष योग्यजन हेतु यथा आवश्यकता संशोधन करते हुए विज्ञापन पुनः जारी किया जाए।
5-5	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर की विद्यापरिषद् की विशेष बैठक-प्रथम एवं द्वितीय के निर्णयानुरूप विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु तैयार विषय विशेषज्ञों के पैनल को आगामी भर्ती प्रक्रिया के लिए भी स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :** विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 03.12.2021 को विभिन्न शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। परन्तु राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक 3334 दिनांक 01.02.2022 के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया रोक लगा दिए जाने के कारण शैक्षणिक पदों पर भर्ती का कार्य संपन्न नहीं हो सका। शैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए दिसम्बर, 2021 में विद्यापरिषद् की विशेष बैठक-प्रथम एवं द्वितीय आयोजित कर चयन समिति हेतु विषय विशेषज्ञों का पैनल तैयार किया गया था। विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही संपादित की जानी है। अतः तत्समय तैयार विषय विशेषज्ञों के पैनल को ही स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।
	निर्णय/संकल्प सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में तैयार विषय विशेषज्ञों के पेनल को आगामी भर्ती प्रक्रिया के लिए भी स्वीकृत किया गया। साथ ही पैनल में यथा आवश्यकता नाम जोडे जाने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

Sudhi Rajiv
2/12/22

राजीव गांधी विद्याभवन
सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग
जयपुर 302 015 (राजस्थान)
Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
JLN Marg, Jaipur 302 015 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

5-6	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर में राज्य सरकार द्वारा दो चरणों में स्वीकृत विभिन्न अशैक्षणिक पदों पर नियमित भर्ती किए जाने की अनुमति एवं इस निमित्त ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने, आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग (Processing) किए जाने, यथा आवश्यकता ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा आयोजित किए जाने आदि कार्यों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किसी बाहरी एजेंसी को outsource किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
	निर्णय/संकल्प प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। बोर्ड का सर्वसम्मत विचार था कि गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती संबंधी कार्य के लिए पहले सरकार की अधिकृत एजेंसियों से प्रयास किया जाए। तत्पश्चात् राज्य सरकार से अनुमति उपरान्त निजी एजेंसी द्वारा कार्य किया जाए।
5-7	विश्वविद्यालय को दहमीकलां, अजमेर रोड, जयपुर में राज्य सरकार द्वारा आंवटित भूमि पर भवन निर्माण की अब तक की प्रगति से अवगत करवाए जाने हेतु।
	निर्णय/संकल्प विश्वविद्यालय को दहमीकलां, अजमेर रोड, जयपुर में राज्य सरकार द्वारा आंवटित भूमि पर भवन निर्माण की अब तक की प्रगति से संतोष जताया तथा सराहना की गई।
5-8	विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं को दहमीकलां, अजमेर रोड स्थित नव परिसर में लाने ले जाने के लिए 04 वाहनों (कॉलेज बस) को क्रय किये जाने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
	निर्णय/संकल्प सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

Sudhi Rajiv
2/12/22

5-9	विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की चतुर्थ बैठक के निर्णयानुरूप डॉ. मनोज कुमार लोढा, एसोसिएट प्रोफेसर के प्रकरण पर गठित उप समिति की रिपोर्ट पर विचार एवं निर्णय। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note)** प्रबंध बोर्ड के निर्णयानुरूप तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई से पूर्व डॉ. मनोज कुमार लोढा, एसोसिएट प्रोफेसर को सुनवाई का अंतिम अवसर दिए जाने हेतु उप समिति का गठन किया गया। उप समिति द्वारा दिनांक 09.05.2022 को डॉ. मनोज कुमार लोढा को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उप समिति की बैठक दिनांक 09.05.2022, 10.05.2022 एवं 21.05.2022 को आयोजित की गई। बैठक के उपरान्त रिपोर्ट मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई है, जिसे प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है। डॉ. मनोज कुमार लोढा, एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा दिनांक 21.11.2022 को माननीय कुलपति के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसे संलग्न कर विचारार्थ रखा जा रहा है।
	निर्णय/संकल्प प्रबंध बोर्ड द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रबंध बोर्ड के सदस्यों द्वारा डॉ. मनोज कुमार लोढा, एसोसिएट प्रोफेसार द्वारा दिनांक 21.11.2022 को माननीय कुलपति के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर गहन चर्चा के उपरान्त, बोर्ड ने 9-1 के बहुमत (डॉ. अनिल कुमार मिश्र की असहमति टिप्पणी के साथ) से रिपोर्ट को अंगीकृत (Adopt) किया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में आगामी कार्रवाई का निर्धारण प्रबंध बोर्ड की यथाशीघ्र आयोज्य आगामी बैठक में किया जाए। उक्त विचार विमर्श के दौरान कुलपति द्वारा कैमरा मीटिंग (Meeting in Camera) के लिए आग्रह किए जाने के कारण कक्ष में उपस्थित सभी विशेष आमंत्रित एवं गैर सदस्य सदन से बाहर चले गए अर्थात इस चर्चा के दौरान वे बैठक में उपस्थित नहीं रहे।

Sudhi Rajiv
2/12/22

5-10	**प्रतिवेदनीय एजेंडा**
5-10-1	विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव, 2022 के लिए विश्वविद्यालय के विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों को मानदेय भुगतान के लिए माननीय कुलपति के आदेश की पुष्टि। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note)** विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए छात्रसंघ चुनाव करवाए गए। विश्वविद्यालय में अभी तक छात्रसंघ चुनाव से संबंधित नियमों का निर्माण नहीं किया जा सका है। इसलिए प्रबंध बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 29.01.2020 के निर्णयानुरूप राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के छात्रसंघ चुनाव विधान के अनुरूप कार्रवाई की गई, तथा उक्तानुरूप ही मानदेय संबंधी आदेश जारी किया गया है।
	निर्णय/संकल्प विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
5-10-2	विश्वविद्यालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक 11903 दिनांक 16.02.2022 की निरन्तरता में माननीय कुलपति के अनुमोदन अनुरूप जारी अवकाश संबंधी आदेश क्रमांक 16825 दिनांक 28.09.2022 की पुष्टि।
	निर्णय/संकल्प विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
5-10-3	विश्वविद्यालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक 13236-248 दिनांक 16.05.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए माननीय कुलपति के निर्देशानुरूप विश्वविद्यालय की परिनियम/विनियम/ऑर्डिनेंस के पुनरीक्षण/परीक्षण/पुनरावलोकन के लिए समिति के पुनर्गठन संबंधी आदेश की पुष्टि।

Sudhi Rajiv
2/12/22

राजीव गांधी विद्याभवन
सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग
जयपुर 302 015 (राजस्थान)
Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
JLN Marg, Jaipur 302 015 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

HJU, A UNIVERSITY ESTABLISHED BY AN ACT OF THE RAJ. STATE LEGISLATURE, IS A NATIONAL CENTRE FOR TEACHING, TRAINING AND RESEARCH IN JOURNALISM, MASS COMMUNICATION AND ALLIED FIELDS
पत्रकारिता, जनसंचार और संबंधित विषयों के शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के लिए राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्थान

	निर्णय/संकल्प विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
5-10-4	विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से प्राप्त पद-स्वीकृतियों के मद्देनज़र माननीय कुलपति के अनुमोदन अनुरूप सहायक कुलसचिव के रिक्त पद के विरुद्ध श्री रवि मोहन शुक्ल, सेवानिवृत कार्मिक के पुनर्नियुक्ति संबंधी आदेश की पुष्टि।
	निर्णय/संकल्प विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
5-10-5	विश्वविद्यालय की वित्त समिति में प्रबंध बोर्ड के अशासकीय सदस्यों में से माननीय कुलपति के निर्देशानुरूप श्री अमर सिंह राठौड की मनोनयन अवधि बढाए जाने संबंधी आदेश की पुष्टि। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note):** विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड द्वारा श्री अमर सिंह राठौड को वित्त समिति में बोर्ड के अशासकीय सदस्य के रूप में 27.02.2022 तक के लिए मनोनीत किया गया था। प्रबंध बोर्ड की बैठक मे इस संबंध में निर्णय लिए जाने से पूर्व वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.04.2022 को होनी थी। अतएव विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 11(19) मे माननीय कुलपति की प्राप्त विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अमर सिंह राठौड को मनोनयन अवधि दिनांक 26.07.2022 तक बढाई गई थी। जिसका अनुमोदन प्रबंध बोर्ड की चतुर्थ बैठक में कर दिया गया था। तत्समय श्री राठौड की प्रबंध बोर्ड में मनोनयन अवधि दिनांक 26.07.2022 को समाप्त होने वाली थी, परन्तु राज्य सरकार के पत्रानुसार श्री राठौड की प्रबंध बोर्ड में मनोनयन अवधि को आगामी 03 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया गया। तद्नुरूप अधिनियम की धारा 11(19) मे कुलपति महोदया को प्राप्त विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अमर सिंह राठौड की वित्त समिति में प्रबंध बोर्ड के अशासकीय सदस्य के रूप में मनोनयन अवधि दिनांक 27.07.2022 से आगामी आदेश अथवा 02 वर्ष तक किए जाने के आदेश जारी किया गया। उक्तानुसार जारी आदेश की पुष्टि।

Sudhi Rajiv
2/12/22

	निर्णय/संकल्प विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
5-10-6	विश्वविद्यालय में आयोजित विशेष व्याख्यान, परिचर्चा, वैबिनार आदि में विभिन्न प्रतिष्ठित विद्वानों, पत्रकारों, विचारकों, लेखकों एवं आलोचकों की सहभागिता का विवरण अवगत करवाए जाने हेतु।
	निर्णय/संकल्प विश्वविद्यालय में आयोजित विशेष व्याख्यान, परिचर्चा, वैबिनार आदि में विभिन्न प्रतिष्ठित विद्वानों, पत्रकारों, विचारकों, लेखकों एवं आलोचकों की सहभागिता के विवरण पर संतोष जताया तथा सराहना की गई।
5-10-7	विश्वविद्यालय में जोधपुर स्कूल ऑफ पब्लिक हैल्थ के साथ संयुक्त तत्वावधान में आयोजित **"जनसंचार एवं वैश्विक स्वास्थ्य का भविष्य"** विषय पर एक दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन का विवरण अवगत करवाए जाने हेतु।
	निर्णय/संकल्प विश्वविद्यालय में जोधपुर स्कूल ऑफ पब्लिक हैल्थ के साथ संयुक्त तत्वावधान में आयोजित **"जनसंचार एवं वैश्विक स्वास्थ्य का भविष्य"** विषय पर एक दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन के विवरण पर संतोष जताया तथा सराहना की गई।
5-10-8	राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा नव चयनित सहायक जनसंपर्क अधिकारियों (APROs) के लिए 05 दिवसीय क्षमता संवर्द्धन कार्यशाला के आयोजन का विवरण अवगत करवाए जाने हेतु।
	निर्णय/संकल्प राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा नव चयनित सहायक जनसंपर्क अधिकारियों (APROs) के लिए 05 दिवसीय क्षमता संवर्द्धन कार्यशाला के आयोजन के विवरण पर संतोष जताया तथा सराहना की गई।

Sudhi Rajiv
2/12/22

5-11	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदया की अनुमति से
5-12	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों के विस्तार, वर्तमान में स्टाफ की अत्यन्त कमी होने के कारण एवं शैक्षणिक एवं गैरशैक्षणिक पदों पर भर्ती, NEP 2020 की सिफारिशों के अनुरूप शैक्षणिक वितरण मॉडल तैयार किए जाने, संबद्धता प्रक्रिया, NAAC प्रत्यायन, ई-संस्थागत विकास योजना, प्रवेश प्रक्रिया में सुधार आदि कार्यो हेतु आरटीपीपी एक्ट 2013 के प्रावधानानुरूप शैक्षणिक एवं प्रशासनिक परामर्शी सेवाएं लिए जाने संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।
	निर्णय/संकल्प सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
5-13	विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 28.04.2022 के निर्णय/संकल्प क्रमांक 4-5, 4-6, 4-7 एवं 4-8 के अनुसरण में गठित समिति द्वारा परिनियम/विनियम/ऑर्डिनेंस के गहन पुनरीक्षण/परीक्षण/ पुनरावलोकन उपरान्त संशोधित प्रारूप विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note):** सदन के निर्णयानुरूप वरिष्ठ परामर्शदाता (अदाकमिक एवं विनियमन) द्वारा तैयार किए गए तथा आंतरिक स्तर पर परीक्षित इन परिनियमों/विनियमों/ ऑर्डिनेंस के पुनरीक्षण/ परीक्षण/पुनरावलोकन के लिए कुलपति महोदय द्वारा एक समिति गठित की गई (आदेश संलग्न)। उक्त समिति में मनोनीत प्रबंध बोर्ड के सदस्य श्री वासिन्द्र मिश्र की विश्वविद्यालय में मनोनयन अवधि समाप्त हो जाने के कारण समिति की बैठक आयोजित की जाकर आगामी कार्रवाई संभव नहीं हो सकी। तत्पश्चात् राज्यपाल सचिवालय द्वारा प्रबंध बोर्ड में किए गए नवीन मनोनयन के अनुरूप समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है (आदेश संलग्न)। यथानुसार पुनर्गठित समिति द्वारा दिनांक 24.11.2022 को बैठक आयोजित कर प्रारूपों पर गहन चर्चा उपरान्त संशोधन करवा दिए गए है। संशोधित प्रारूप सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Sudhi Rajiv
2/12/22

HJU

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय

HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

	निर्णय/संकल्प विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 28.04.2022 के निर्णय/संकल्प क्रमांक 4-5, 4-6, 4-7 एवं 4-8 के अनुसरण में गठित समिति द्वारा पुनरीक्षण/परीक्षण/ पुनरावलोकन उपरान्त तैयार किए गए संशोधित प्रारूपों यथा Statutes for the Consititution, Powers and Duties of the Finance Committee of the University, Statutes for Designation, Manner of Appointment, Powers, Duties and Service Conditions of the Officers of the University, Regulations for Procedure to be adopted in the Board of Management Committee एवं Ordinance for the Certificate and Diploma Courses of Study का अनुमोदन किया तथा इनमें कतिपय टंकण त्रुटियों को सुधारते हुए आगामी कार्रवाई किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।
5-14	विश्वविद्यालय कार्य के सुगम संचालन के लिए श्री राजेश तन्खा, सहायक कुलसचिव की नियुक्ति पूर्व में आदेश क्रमांक 10260 दिनांक 22.11.2022 द्वारा की गई थी, जिसे पुनः 01 वर्ष के लिए बढाए जाने हेतु जारी आदेश क्रमांक 17149 दिनांक 22.11.2022 की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।
	निर्णय/संकल्प विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।

Sudhi Rajiv 2/12/22

(प्रो. सुधि राजीव)
कुलपति

(अबु सुफियान चौहान)
RAS
कुलसचिव

राजीव गांधी विद्याभवन | Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग | Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
जयपुर 302 015 (राजस्थान) | JLN Marg, Jaipur 302 015 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

HJU, A UNIVERSITY ESTABLISHED BY AN ACT OF THE RAJ. STATE LEGISLATURE, IS A NATIONAL CENTRE FOR TEACHING, TRAINING AND RESEARCH IN JOURNALISM, MASS COMMUNICATION AND ALLIED FIELDS
पत्रकारिता, जनसंचार और संबंधित विषयों के शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के लिए राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्थान